

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 13.07.2022

शांति वाहन चोर, तीन अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्ग दर्शन में व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में थाना राजघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्र द्वारा तीन अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्तगण (1)- रजत त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय राकेश त्रिपाठी निवासी हाँसूपुर घसियारी टोला निकट राधा कृष्ण मंदिर थाना राजघाट गोरखपुर (2) - चंदन कुमार भारती पुत्र महेंद्र कुमार भारती निवासी बसंतपुर दक्षिणी घसियारी टोला राजघाट जिला गोरखपुर को समय करीब 12:10 बजे नेशनल हाईवे अमरूदमंडी से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 180/2022 धारा 411,467,468,471 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्तगण के पास बरामदगी -

- 1- स्कूटी जुपिटर चेचिस नंबर MD626BG42G3851718 रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 53सीसी 8671
- 2- हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस चेचिस नंबर 03M16C33851 रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 72 एफ 1641
- 3- हीरो स्प्लेंडर प्रो चेसिस नम्बर MBLHA10A3EHG403 गलत रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट UP53BS8035

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-

- (1) रजत त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय राकेश त्रिपाठी निवासी हाँसूपुर घसियारी टोला निकट राधा कृष्ण मंदिर थाना राजघाट गोरखपुर
- (2) चंदन कुमार भारती पुत्र महेंद्र कुमार भारती निवासी बसंतपुर दक्षिणी घसियारी टोला राजघाट जिला गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:-

नेशनल हाईवे अमरूद मंडी के पास समय : 12:10 बजे

अभियुक्त चंदन कुमार भारती का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु.अ. सं.170/21 धारा 272आई पी सी 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर
- 2-मु.अ.सं.180/21 धारा 411,467,468,471 भारतीय दंड विधान थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1-उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2-कां.मंगलदीप यादव ,, ,, ,,
- 3-कां. देवेन्द्र कुमार ,, ,, ,,
- 4 -कां. कुंदन कुमार ,, ,, ,,
- 5--कां. हृदयेश सिंह ,, ,, ,,